

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग शिवपुरी (म.प्र.)

ccmail:- cewrdshivpuri@yahoo.com

Ph.No. 07492-221354

क्रं...../कार्य/सनघटा (ऐर) म.परि./2025

शिवपुरी, दिनांक.....

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल
शिवपुरी (म.प्र.)

विषय:- सनघटा (ऐर) मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु वन विभाग से द्वितीय स्टेज की स्वीकृत हेतु कंप्लायंस पूर्ण करने बाबत।

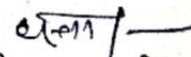
संदर्भ:- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रं./एफ-3/52/2018/10-11/3573 दिनांक 08.07.24

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सनघटा (ऐर) मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु वन विभाग से स्वीकृति बाबत प्रकरण प्रक्रियाधीन है जिसमें FIRST STAGE की स्वीकृति भारत सरकार वन विभाग नई दिल्ली से दिनांक 08.07.2024 को प्राप्त हो चुकी है एवं SECOND STAGE की स्वीकृति हेतु संदर्भित पत्रानुसार कंप्लायंस कर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न:-

1. कंप्लायंस रिपोर्ट पृष्ठ क्रं. 1 से 4 की मूल प्रति- 3 नग
2. शर्त क्रं. I से XXXIV तक शपथ पत्र की मूल प्रति- 3 नग
3. अधिसूचना प्रारूप की मूल प्रति- 3 नग
4. कब्जा रसीद की मूल प्रति- 3 नग

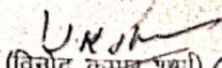
(पं.प.ग.मा.)


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

पृ.क्र. 2067/कार्य/सनघटा (ऐर) म.परि./2025
प्रतिलिपि:-

शिवपुरी, दिनांक 18/6/2025

अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन सर्वेक्षण उपसंभाग पिछोर जिला शिवपुरी की ओर सूचनाार्थ।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

Office of the Executive Engineer Water Resources Division Shivpuri (M.P.)
Compliance Report for Sanction of Stage-II for Land Coming Under Submergence
of Sanghata (Aer) Medium Irrigation Project

S.No.	Conditions	Compliance
A- Conditions required to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance to be submitted prior to Stage-II approval		
i.	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-1 में संलग्न है।
ii.	A Plan for Conservation of Wildlife shall be prepared by the user agency in consultation with the forest department which shall be approved by the Chief Wildlife Warden. The plan so approved is to be implemented at the cost of the user agency;	आवेदक संस्थान द्वारा वाइल्ड लाइफ प्लान अनुमोदित हो चुका है, इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-2 में संलग्न है।
iii.	User agency shall maintain minimum required environmental flow in the river downstream;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-3 में संलग्न है।
iv.	The User agency shall prepare a proper irrigation schedule and ensure equitable distribution of water from the project;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-4 में संलग्न है।
v.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the 8-01/2022-FC I/76407/2024 Annexure - I compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रुपये 230052088.00 ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है।
vi.	The User Agency shall transfer the funds towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the guidelines in the matter;	नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि रु. 334265220.00 ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है।
vii.	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-5 में संलग्न है।
viii.	The identified non-forest land for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in the name of forest department and notified as Reserved Forest /Protected Forest prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring	वन विभाग से संग्रहित है।

S.No.	Conditions	Compliance
	the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to State-II approval;	
ix.	The copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted and the commensurate cost of CAT plan shall be deposited in the CAMPA account through online portal;	CAT प्लान की प्रति परिशिष्ट-8 में संलग्न है। कट प्लान की राशि रु. 98114200.00 ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है।
x.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	मध्यप्रदेश शासन द्वारा शाराकीय विभागों की परियोजनाओं में विदोहन कार्य की राशि से छुट दी गई है।
xi.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	यह प्रमाण पत्र परिशिष्ट-7 में संलग्न है।
xii.	The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the E-green watch portal of FSI, before handing over forest land to the user agency;	वन विभाग से संबंधित है।
xiii.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/); Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance;	सभी भुगतान ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से किये गये हैं।
xiv.	Forest land will be handed over only after required non-forest land in the project is obtained by the user agency;	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु गैर वन भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। कब्जा राशि की प्रति परिशिष्ट-8 में संलग्न है।
xv.	The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only. Number of trees to be removed shall be kept at barest minimum during the execution of the project;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-9 में संलग्न है।
xvi.	The User Agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-10 में संलग्न है।
xvii.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-11 में संलग्न है।
xviii.	The R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-12 में संलग्न है।

S.No.	Conditions	Compliance
	implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable 8-01/2022-17C 1/76407/2024 milestones;	
xix.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-13 में संलग्न है।
xx.	The User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-14 में संलग्न है।
xxi.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-15 में संलग्न है।
xxii.	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-16 में संलग्न है।
xxiii.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-17 में संलग्न है।
xxiv.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-18 में संलग्न है।
xxv.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-19 में संलग्न है।
xxvi.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for the execution of this project;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-20 में संलग्न है।
xxvii.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-21 में संलग्न है।
xxviii.	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-22 में संलग्न है।
xxix.	The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse	वन विभाग से संबंधित है।

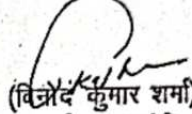
S.No.	Conditions	Compliance
	impact on the forests in the surrounding area;	
xxx.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-23 में संलग्न है।
xxxi.	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-24 में संलग्न है।
xxxii.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-25 में संलग्न है।
xxxiii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry on dated 29.12.2023;	आवेदक संस्थान इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट-26 में संलग्न है।
xxxiv.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	पालन प्रतिवेदन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।


 (विनीद कुमार शर्मा)
 कार्यपालन यंत्री
 जल संसाधन संभाग
 शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A (i)

Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विजेंद्र कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A (ii)

A plan for conservation of wildlife shall be prepared by the user agency in consultation with the forest department which shall be approved by the Chief Wildlife Warden. The plan so approved is to be implemented at the cost of the user agency.

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश
भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003
 दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फैक्स : 0755-2674206 E-mail : pcfwlmp.gov.in

क्रमांक/वन्यजीव/वतअ.-1/ Mine-215/3794)
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 28.4.2025

कार्यपालन यंत्री
 जल ससाधन विभाग, शिवपुरी

विषय :- शिवपुरी जिले के अंतर्गत सनघटा मध्यम परियोजना की डूब क्षेत्र में आने वाली वनभूमि के संबंध में वाइल्ड लाइफ प्लान के अनुमोदन हेतु।

संदर्भ :-1. आपका पत्र क्रमांक/ 1325 दिनांक 03.09.2024

2. मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी का पत्र क्रमांक/डीएम/2025/294 दिनांक 07.02.2025 एवं 954 दिनांक 07.04.2025

उपरोक्त विषयातर्गत आपके द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 03.09.2025 से सनघटा मध्यम सिंचाई परियोजना की डूब क्षेत्र में आने वाली वनभूमि हेतु प्रस्तावित परियोजना स्थल से 10 कि.मी. की परिधि में पाये जाने वाले पल्लोरा-फौना के संरक्षण हेतु 10 वर्षों के लिए राशि रुपये 244 लाख की वन्यजीव संरक्षण योजना तैयार कराकर इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है। इस योजना के संबंध में अभिमत हेतु मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी को लेख किया गया था।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 07.02.2025 से अपनी अनुशांसा सहित 10 वर्षों के लिए रुपये 488.96 लाख प्रावधानित कर इस कार्यालय के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। योजना का पुनः परीक्षण उपरांत दिये गये निर्देशानुसार मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 07.04.2025 से 10 वर्षों के लिए रुपये 518.00 लाख प्रावधानित कर तथा इस राशि का Miscellaneous Administration and Monitoring expenses @2% of the total costs की राशि रुपये 10.36 लाख तथा Escalation cost and unforeseen expenditure @20% of total costs की राशि रुपये 103.60 लाख, इस प्रकार कुल राशि रुपये 631.96 लाख का प्रावधान कर संशोधित वन्यजीव संरक्षण योजना अनुशांसा सहित प्रेषित की गयी। जिसके मुख्य घटक एवं प्रावधानित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

S No	Description of Item of work	Year-wise Estimated expenditure (Rs.in Lakhs)										Total
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	
1. Grassland Development, Restoration, Rehabilitation (In Lakhs)												
1	Earthen DGM (Qty 2 at 15/ unit)	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	60
2	SMC	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0	40
3	Pasture and Grassland development	80	40	0	0	0	0	0	0	0	0	120
4	Earthen saucer (4 No. at 2.5 Unit)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20
5	Restoration and Retrofitting	10	05	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	Sub-Total	160	95	0	0	0	0	0	0	0	0	255
2. Conservation of Reptiles (crocodile) and Biological elements												
6	Biological Elements	05	04	0	0	0	0	0	0	0	0	09
7	Conservation of Reptiles crocodiles	10	05	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	Sub-Total	15	09	0	0	0	0	0	0	0	0	24

S No	Description of Item of work	Year-wise Estimated expenditure (Rs.in Lakhs)										Total
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	
3. Training, control of offences and People participation.												
8	Training and awareness (Rs. 1.0 lakh per training)	02	02	02	02	02	01	01	01	01	01	15
9	Control of wildlife offences (Rs. 1.0 lakh per training)	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	20
10	Peoples participation (Rs. 1.0 lakh per training)	02	02	02	02	02	01	01	01	01	01	15
	Sub-Total	06	06	06	06	06	04	04	04	04	04	50
4. Training, control of offences and People participation.												
11	Petty maintenance, earthen dam Qty 4 @ 1.5/ unit)	0	0	0	06	0	06	0	0	0	0	12
12	Petty maintenance, SMC	0	0	0	04	0	04	0	0	0	0	08
13	Petty maintenance, Pasture land	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	24
	Sub-Total	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	44
5. Provision of necessary equipment and gadgets												
1	Inspection cottage for effective monitoring (Qty 1 @ 25/unit)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
2	Establishment of rescue and rehabilitation center with necessary rescue equipment including catching equipment, pinjra, snake catcher, trap, nets, hunting boots, hunting uniform, torch, baton and masaal etc. for the staff etc.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
3	All-terrain vehicle equipped with necessary medical facility & one Ambulance for wildlife treatment in emergencies.	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
4	Purchasing of 200 camera traps.	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	Sub-Total	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
	Total	326	110	06	28	06	26	04	04	04	04	518
	Miscellaneous administration and Monitoring expenses @ 2% of the total costs	10.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.36
	Escalation cost and unforeseen expenditure @ 20% of total costs	103.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.60
	Grand Total	439.96	110	06	28	06	26	04	04	04	04	631.96

मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त द्वारा अनुशसित वन्यजीव संरक्षण योजना के पृष्ठ क्रमांक 07 से 12 में उल्लेखित फलारा-कोना की सूची एवं उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिये वन्यजीव संरक्षण हेतु पृष्ठ क्रमांक 20 से 28 पर दर्शाये गये कार्यों के लिए राशिय 631.96 लाख की 10 वर्षों की वन्यजीव संरक्षण योजना का अनुमोदन किया जाता है। उक्त अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना की एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त को एक प्रति उपलब्ध कराये।

प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति उपरांत समय-सीमा में वन्यजीव संरक्षण योजना में वन्यप्राणी संरक्षण हेतु वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले योजना में प्रावधानित कार्यो हेतु प्रावधानित राशि रुपये 631.96 लाख (रुपये छह करोड इक्कतीस लाख छियानवे हजार मात्र) एक मुश्त कैम्पा मंद में जमा करायी जाकर मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आपके द्वारा कराये जाने वाले कार्यो को समय-सीमा में पूर्ण करायेगें।

सलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(शुभरंजन सेन)

मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28.4.2025

पृ० क्रमांक/वन्यजीव/वतअ.-1/Mine-215/2775
प्रतिलिपि :-

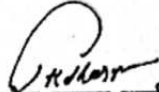
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरण में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आपके स्तर से जारी अंतिम अनुमति में अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि रुपये 631.96 लाख आवेदक संस्था द्वारा मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त को एक मुश्त राशि कैम्पा में जमा कराने एवं योजना में प्रावधानित कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने की शर्त अधिरोपित करने एवं शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की शर्त अधिरोपित किये जाने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त की ओर अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति के उपरांत परियोजना प्रारंभ होने के पूर्व वन्यजीव संरक्षण योजना में वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यो के लिए प्रावधानित राशि 631.96 लाख एक मुश्त आवेदक संस्था से प्राप्त कर प्रावधानित कार्यो को समय सीमा में क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करें तथा तत्संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावे।

मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), म.प्र.

शर्त- A (iii)

User agency shall maintain minimum required envoronmental flow in the river downstream;

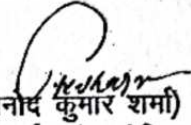
उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A (iv)

The User agency shall prepare a proper irrigation schedule and ensure equitable distribution of water from the project;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(vii)

At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;

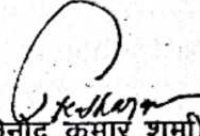
उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(ix)

The Copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted and the commensurate cost of CAT plan shall be deposited in the CAMPA account through online portal;

CAT प्लान प्रस्ताव के भाग-1 में बिन्दु क्रमांक M (ii) b में अपलोड है।


(विनीद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

(For Projects other than linear Projects)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR SHIVPURI

No. 4222

Dated: - 18/11/2024

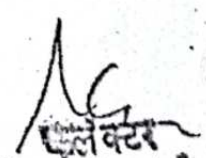
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98 FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights), Act 2006 (FRA, for short) on the forest and proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 349 hectares of forest land proposed to be diverted in favours of Executive Engineer, Water Resources Division Shivpuri (name of user agency) for Sanghata Medium Irrigation Project (Purpose for diversion of forest land) in Shivpuri districts falls within jurisdiction of Devrikhurd, gadoliya (Rajour), Shergarh, machmor, veera, khod, kumraua in pichhore tehsil.

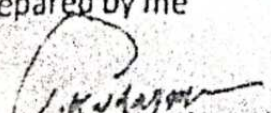
It is certified that:

1. The complete process for identifications and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 349 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 2 annexure 1 to 9
2. The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
3. The each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures. If any, having understood the, purpose and the details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Devrikhurd, gadoiya (Rajour), Shergarh, machmor, veera, khod, kumraua villages (s) is enclosed as annexure 3 to annexure 9
4. The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
5. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
6. The rights of primitive Tribal Groups and Pre agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

cl. As above


 (Full name and official seal of the District Collector)

Prepared by me


 Executive Engineer


 Checked by me and found correct

शिवपुरी (म.प्र.)
 18/11/2024

शर्त- A(xiv)

Forest land will be handed over only after required non-forest land in the project is obtained by the user agency;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग
शिवपुरी (म.प्र.)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2025—ज्येष्ठ 9, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2025

क्र. ई-1-52-2025-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-12-2025-AIS-I (S.II & III), दिनांक 11 अप्रैल 2025 द्वारा सुश्री छाया सिंह, परिवीक्षाधीन भाप्रसे (MP:2024) को श्री मोहित कसनिया, भाप्रसे (RJ:2022) के साथ विवाह के आधार पर मध्यप्रदेश संवर्ग से राजस्थान संवर्ग स्थानांतरित किया गया है।

(2) राज्य शासन, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुपालन में, सुश्री छाया सिंह, परिवीक्षाधीन भाप्रसे (MP:2024) को राजस्थान संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करता है।

2941

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2025

क्र. ई-5-1062-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (2009), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 30 मई से 4 जून 2025 तक, छः दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 29 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (2009), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्रमांक/PCCF/7/0250/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 18, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी

तहसील - शिवपुरी

वनमण्डल - शिवपुरी

वन परिक्षेत्र का नाम - सतनवाड़ा

अ.क्र.	वनमण्डल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मालिक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल(हे०)	
1	झिरनिया	झिरनिया डोंगरी	शासकीय राजस्व भूमि	41 40/2 197	114.23 80.06 54.640	उत्तर - आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 90/1 से संरक्षित वनखण्ड झिरनिया के मुनारा क्रमांक 1, 12 एवं 13 से आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14/1 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - आरक्षित वनखण्ड मोहिनी के मुनारा क्रमांक 14/1 से आरक्षित वनखण्ड डोंगरी के मुनारा क्रमांक 6/1 तक वन सीमा। दक्षिण - आरक्षित वनखण्ड डोंगरी के मुनारा क्रमांक 6/1 से आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 85/1 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 85/1 से 90 एवं 90/1 तक वन सीमा।
			योग		248.93	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक परइल नम्बर 8-01 /2022-एफ सी दिनांक 08.07.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सनघटा(ऐर) . मध्यम सिंचाई परियोजना कार्य पालन यंत्री जल संसाधन शिवपुरी में प्रभावित 349.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 248.93 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति यनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक 0198/अ-20(3)/2022-23/606 दिनांक 19-05-2023 प्रकरण क्रमांक 0199/अ-20(3)/2022-23/607 दिनांक 19-05-2023 प्रकरण क्रमांक/106/2017-18/अ-20(3)/नजूल/आदेश दिनांक 20-04-18 एवं संशोधित आदेश प्रकरण क्रमांक/0106/अ 20(3)/2017-18 दिनांक 09-08-24 आदेश प्रकरण क्रमांक/0106/अ 20(3)/2017-18 दिनांक 08-10-24 से 248.93 हेक्टेयर हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक

2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्र. PCCF-7-0250-2025-FLR-PCCF. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0250-2025-FLR-PCCF, दिनांक 23 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 23rd May 2025

No./PCCF/7/0250/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Shivpuri
Forest Division:- Shivpuri

Tahsil :- Shivpuri
Forest Range :- Satanwara

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Jhirniya	Jhirniya	Revenue Land	41	114.23	North — Artificial forest boundary from Pillar No. 90/1 of Reserved Forest Block Chorpura to Pillar Nos. 1, 12, and 13 of Protected Forest Block Jhirniya, up to Pillar No. 14/1 of the Reserved Forest Block. East — Forest boundary from Pillar No. 14/1 of Reserved Forest Block Mohini to Pillar No. 6/1 of Reserved Forest Block Dongari. South — Artificial forest boundary from Pillar No. 6/1 of Reserved Forest Block Dongari to Pillar No. 85/1 of Reserved Forest Block Chorpura. West — Forest boundary from Pillar No. 85/1 to Pillar Nos. 90 and 90/1 of Reserved Forest Block Chorpura.
		Jhirniya		40/2	80.06	
		Dongri		197	54.640	
				Total	248.93	

A. Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi of order No 8-01/2022-FC

dated 08-07-2024 and in lieu of 349 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sangatha (AER) Medium Irrigation Project of project By the EE WRD Shivpuri the above mentioned Non Forest Land of 248.93 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by The Collector Shivpuri order No 0198 /A-20(3) 2022-23/606 order dated 19-05-2023, Order No. 0199 /A-20(3) 2022-23/607 order dated 19-05-2023, order No. 106/2017-18/A-20(3) Nazul Order dated 20-04-2018, revised order No. 0106/A-20(3)/2017-18 Order dated 09-08-2024 and revised order No. 0106/A-20(3)/2017-18 Order dated 08-10-2024 of 248.93 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Shivpuri are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil.

Therefore, the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian forest act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्रमांक PCCF/7/0250/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 18, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी

तहसील - शिवपुरी

वनमण्डल - शिवपुरी

वन परिक्षेत्र का नाम - सततयाज्ञ

अ.क्र.	वनमण्डल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्द	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल(हे०)	
9	झिरनिया (I)	झिरनिया	राजस्व भूमि	02 05 06	69.71 18.40 20.71	उत्तर - आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 9/1 से संरक्षित वनखण्ड झिरनिया के मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं आरक्षित वनखण्ड मोहिनी के मुनारा क्रमांक 23/1 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - आरक्षित वनखण्ड मोहिनी के मुनारा क्रमांक 23/1 से 18/1 तक वन सीमा। दक्षिण - आरक्षित वनखण्ड मोहिनी के मुनारा क्रमांक 18/1 से संरक्षित वनखण्ड झिरनिया के मुनारा क्रमांक 4, 7, 9 एवं 12 से आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 4/1 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 4/1 से 9 एवं 9/1 तक वन सीमा।
			योग		108.82	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तई दिल्ली के आदेश क्रमांक फइल नम्बर 8-01/2022-एफ सी दिनांक 08.07.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सनघटा(एर) मध्यम सिंचाई परियोजना कार्य पालन यंत्री जल संसाधन शिवपुरी में प्रभावित 349.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 108.82 हेक्टेयर राजस्व भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक/0198/अ-20(3)/2022-23/606 आदेश दिनांक 19.05.2023 से 108.82 हेक्टेयर हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के करण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक

2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, दिनांक 23 मई 2025

क्र. PCCF-7-0250-2025-FLR-PCCF :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0250-2025-FLR-PCCF, दिनांक 23 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 23rd May 2025

No./PCCF/7/0250/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Shivpuri
Forest Division: - Shivpuri

Tahsil :- Shivpuri
Forest Range : - Satnawara

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Jhirniya (I)	Jhirniya	Revenue Land	02 05 06	69.71 18.40 20.71	North - Artificial forest boundary from Pillar No. 9/1 of Reserved Forest Block Chorpura to Pillars No. 1 to 3 of Protected Forest Block Jhirniya, and up to Pillar No. 23/1 of Reserved Forest Block Mohini.

						East – Forest boundary from Pillar No. 23/1 to Pillar No. 18/1 of Reserved Forest Block Mohini. South – Artificial forest boundary from Pillar No. 18/1 of Reserved Forest Block Mohini to Pillars No. 4, 7, 9, and 12 of Protected Forest Block Jhirniya, and then to Pillar No. 4/1 of Reserved Forest Block Chorpura. West – Forest boundary from Pillar No. 4/1 to Pillars No. 9 and 9/1 of Reserved Forest Block Chorpura.
				Total	108.82	

A. Reason for publication of Notification

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi of order No 8-01/2022-FC dated 08-07-2024 and in lieu of 349 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sangatha (AER) Medium Irrigation Project of project By the EE WRD Shivpuri the above mentioned Revenue Land of 108.82 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by The Collector Shivpuri order No. 0198/A -20 (3)/2022-23/606 Order dated 19-05-2023 of 108.82 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Shivpuri are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil.

Therefore, the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian forest act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

पंचनामा

हम उपस्थित पंचजन, अधिकारी एवं कर्मचारीगण पंचनामा लिख देते हैं कि श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के संशोधित प्र.क्र.- 0106/अ-20(3)/2017-18 आदेश दिनांक- 09/08/2024 संशोधित आदेश 08/10/2024 द्वारा ग्राम- झिरनिया के भूमि सर्वे क्रमांक- 41 के रकबा- 123.70 हैक्टेयर में से 114.23 हैक्टेयर राजस्व भूमि, प्र.क्र.- 0198/अ-20(3)/2022-23/606 आदेश दिनांक- 19/05/2023 द्वारा ग्राम- झिरनिया के भूमि सर्वे क्रमांक- 2 रकबा- 69.71 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक- 5 रकबा- 18.40 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक- 6 रकबा- 20.71 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक- 40/2 के रकबा- 145.57 हैक्टेयर में से 80.06 हैक्टेयर राजस्व भूमि तथा प्र.क्र.- 0199/अ-20(3)/2022-23/607 आदेश दिनांक- 19/05/2023 द्वारा ग्राम- डोंगरी के भूमि सर्वे क्रमांक- 197 रकबा- 54.64 हैक्टेयर राजस्व भूमि, सनघटा(एर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले वनविभाग भोपाल (म.प्र.) को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है जिसका सीमांकन कर वनविभाग को मौका कब्जा देने हेतु श्रीमान नायब तहसीलदार वृत्त सुभाषपुरा के आदेश क्रमांक/री/2024/573 आदेश दिनांक- 10/07/2024 द्वारा गठित राजस्व दल, डिप्टी रेंजर वन विभाग धौलागढ़, बीट गार्ड (बम्हारी, डोंगरी, धौलागढ़), चौकीदार वन विभाग, एवं SDO जल संसाधन विभाग म.प्र., प्रोजेक्ट मैनेजर जल संसाधन विभाग, सब इंजीनियर जल संसाधन विभाग दिनांक- 15.10.2024 को मौके पर उपस्थित हुए। श्रीमान नायब तहसीलदार वृत्त सुभाषपुरा के आदेश क्रमांक/री/2024/573 आदेश दिनांक- 10/07/2024 द्वारा गठित राजस्व दल द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के संशोधित प्र.क्र.- 0106/अ-20(3)/2017-18 आदेश दिनांक- 09/08/2024 द्वारा ग्राम- झिरनिया के भूमि सर्वे क्रमांक- 41 के रकबा- 123.70 हैक्टेयर में से 114.23 हैक्टेयर राजस्व भूमि, प्र.क्र.- 0198/अ-20(3)/2022-23/606 आदेश दिनांक- 19/05/2023 द्वारा ग्राम- झिरनिया के भूमि सर्वे क्रमांक- 2 रकबा- 69.71 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक- 5 रकबा- 18.40 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक- 6 रकबा- 20.71 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक- 40/2 के रकबा- 145.57 हैक्टेयर में से 80.06 हैक्टेयर राजस्व भूमि तथा प्र.क्र.- 0199/अ-20(3)/2022-23/607 आदेश दिनांक- 19/05/2023 द्वारा ग्राम- डोंगरी के भूमि सर्वे क्रमांक- 197 रकबा- 54.64 हैक्टेयर राजस्व भूमि का डिप्टी रेंजर वन विभाग धौलागढ़, बीट गार्ड (बम्हारी, डोंगरी, धौलागढ़), चौकीदार वन विभाग, एवं SDO जल संसाधन विभाग म.प्र., प्रोजेक्ट मैनेजर जल संसाधन विभाग, सब इंजीनियर जल संसाधन विभाग एवं उपस्थित ग्रामिणों के समक्ष सीमांकन कर सनघटा(एर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले कुल - 357.75 हैक्टर राजस्व भूमि का मौका कब्जा वनविभाग भोपाल (म.प्र.) को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया गया।

पंचनामा उपस्थित पंचजनों, अधिकारी एवं कर्मचारीगणों द्वारा पढ़ा, सुना एवं समझा गया जो सत्य व सही है वक्त जरूरत काम आवे।

Narain Prakash

18/10/2024

पंचनामा लिखने वाला

आयुक्त, झिरनिया

महेश कुमार

महेश कुमार

Ravi Kumar

P.M. (Encl. with)

18/10/2024

Ramesh

18/10/2024

18/10/2024



शर्त- A(xv)

The felling of trees shall be restricted of FRL-4 meter only.
Number of Trees to be removed shall be kept at barest minimum during
the execution of the project;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xvi)

The user agency shall restrict the felling of Trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xvii)

The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;

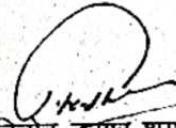
उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xviii)

The R&R plan shall be implemented as per the R&R policy of State Government in consonance with National R&R policy. Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEE&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी

प्र.क्र.02/24-25/अ-82

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना
बनाम

बुद्ध पुत्र बल्ला आदिवासी भदैया पुत्र भमरा आदिवासी
आदि निवासीय ग्राम कैमखेडा तहसील पिछोर

(पारित आदेश दिनांक 08/05/2025)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी द्वारा सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना में बांध निर्माण हेतु ग्राम कैमखेडा तहसील पिछोर की भूमि वनखण्ड क्रमांक 289 रकबा 2.247 (जिसका की वन अधिकार अधिनियम 2008 के तहत अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक दिया गया था) म.प्र. शासन की आपसी सहमति क्रय नीति 2014 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में आपसी सहमति क्रय नीति के तहत स्वच्छ धारणाधिकार एवं आधिपत्य के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पिछोर से जांच करायी गयी। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर द्वारा परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में प्रभावित भूमि का वर्ष 2024-25 की गाईडलाईन की प्रभावशील दर के अनुसार भूमि तथा उस पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों के मूल्य के बराबर राशि प्रतिफल के रूप में संगणित की जाकर आपसी सहमति से की जा रही भूमि मूल्यांकन गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में वन खण्ड धारकों से प्रारूप (क) पर क्रय के प्रस्ताव के आधार पर प्रारूप (ख) पर सहमति ली गई है। प्रस्तावित भूमि के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया।

प्रकरण में प्रभावित भूमि के भू-धारकों की प्रारूप (ख) पर भूमि विक्रय की सहमति प्राप्त होने के उपरांत मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ12-2/2014/सात/2ए भोपाल दिनांक 12.11.2014 की कंडिका 11(2) के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 13.01.2025 जारी की जाकर सूचना का सार्वजनिक समाचार पत्र तरुण सत्ता दिनांक 21.01.2025, श्रम साधना दिनांक 21.01.2025 में जिले की वेबसाइट पर सूचना का प्रकाशन कराया गया। सूचना प्रकाशन के उपरांत प्रस्तावित भूमि के संबंध में आपत्ति प्राप्त हुई है। उक्त आपत्ति का आदेश दिनांक 05.05.2025 से विधिवत निराकरण किया गया है। आदेश प्रथक से प्रकरण में संलग्न है।

प्रस्तावित भूमि/परिसम्पत्ति की मूल्यांकन राशि पुर्नवास सहित निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम/तहसील	भू-धारक/ मकानधारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	वनखण्ड कक्ष क्र.	कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल	गाईडलाईन 2024-25 के अनुसार मूल्य	पुनर्वास अनुदान	कुल राशि
1	कैमखेडा	बुद्ध पुत्र गोपी आदिवासी	289	0.212	0.212	111936	111936	223872
2	-	भदैया पुत्र बल्ला आदिवासी	289	0.349	0.349	184272	184272	368544
3	-	बालकिशन पुत्र मन्जू आदिवासी	289	0.158	0.158	83424	83424	166848
4	-	रामचरण पुत्र धनुआ आदिवासी	289	0.143	0.143	75504	75504	151008
5	-	रामसिंह पुत्र अन्नू आदिवासी	289	0.155	0.155	81840	81840	163680
6	-	रामसिंह पुत्र बलुआ आदिवासी	289	0.177	0.177	93456	93456	186912
7	-	इमरत पुत्र गोकलिया आदिवासी	289	0.112	0.112	59136	59136	118272
8	-	ग्याराम पुत्र जगना आदिवासी	289	0.157	0.157	82896	82896	165792
9	-	वंशी पुत्र गोकलिया आदिवासी	289	0.147	0.147	77616	77616	155232
10	-	फूल सिंह पुत्र भमरा आदिवासी	289	0.314	0.314	165792	165792	331584
11	-	चिल्लू पुत्र भमरा आदिवासी	289	0.323	0.323	170544	170544	341088
	-	महायोग		2.247	2.247	1186416	1186416	2372832

प्रकरण में प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 के अंतर्गत अधिभोग के अधीन वन भूमि के हक के तहत परंपरागत वन निवासियों को प्रदान की गई थी। उक्त प्रस्तावित भूमि के बदले वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि प्रदाय की गई है। वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल शिवपुरी के पत्र क्रमांक 3188 दिनांक 23.07.2024 के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिल्ली के पत्र दिनांक 08.07.2024 से सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में विधिवत सैद्धांतिक सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। परंपरागत वन निवासियों द्वारा विधिवत वन भूमि के अपने हक को सनघटा परियोजना हेतु समर्पण कर शपथ-पत्र पेश किया गया है।

उपरोक्त आधार पर ग्राम कैमखेडा तहसील पिछोर वनखण्ड क्रमांक 289 रकबा 2.247 हे. भूमि परंपरागत वन निवासियों के हकों का सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना जल संसाधन विभाग शिवपुरी के हित में समर्पण स्वीकार किया जाता है। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी विधिवत कार्यवाही उपरांत भूमि का अधिपत्य प्राप्त करें एवं शासन नीति अनुरूप उक्त गणना के आधार पर भूमि का मूल्य पुर्नवास अनुदान सहित भुगतान करें। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी वन अधिकारों के धारक को नियमानुसार भुगतान कर भुगतान की जानकारी सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति संबंधित विभाग की ओर भेजी जावे। बाद कार्यवाही प्रकरण दायिल रिकार्ड।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)



कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी

शिवपुरी दिनांक 15/05/2025

प्र.क्र.02/24-25/अ-82/ 0 551

प्रतिलिपि:-

1. वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त कलेक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी(भू-अर्जन शाखा)
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी

प्र.क्र.05/24-25/अ-82

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना

बनाम

- प्राणसिंह पुत्र भल्ले आदिवासी नेकराम पुत्र अन्नू आदिवासी
आदि निवासीगण ग्राम कुमरौआ तहसील पिछोर

(पारित आदेश दिनांक 08/05/2025)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी द्वारा सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना में बांध निर्माण हेतु ग्राम कुमरौआ तहसील पिछोर की भूमि वनखण्ड क्रमांक 1076 रकबा 1.171 (जिसका की वन अधिकार अधिनियम 2008 के तहत अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक दिया गया था) म.प्र. शासन की आपसी सहमति क्रय नीति 2014 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में आपसी सहमति क्रय नीति के तहत स्वच्छ धारणाधिकार एवं अधिपत्य के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पिछोर से जांच करायी गयी। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर द्वारा परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में प्रभावित भूमि का वर्ष 2024-25 की गाईडलाईन की प्रभावशील दर के अनुसार भूमि तथा उस पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों के मूल्य के बराबर राशि प्रतिफल के रूप में संगणित की जाकर आपसी सहमति से की जा रही भूमि मूल्यांकन गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में वन खण्ड धारकों से प्रारूप (क) पर क्रय के प्रस्ताव के आधार पर प्रारूप (ख) पर सहमति ली गई है। प्रस्तावित भूमि के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया।

प्रकरण में प्रभावित भूमि के भू-धारकों की प्रारूप (ख) पर भूमि विक्रय की सहमति प्राप्त होने के उपरांत मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के जापन क्रमांक एफ12-2/2014/सात/2ए भोपाल दिनांक 12.11.2014 की कंडिका 11(2) के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 13.01.2025 जारी की जाकर सूचना का सार्वजनिक समाचार पत्र तरुण सत्ता दिनांक 20.01.2025, मध्यराज भोपाल दिनांक 18.01.2025 में जिले की वेबसाइट पर सूचना का प्रकाशन कराया गया। सूचना प्रकाशन के उपरांत प्रस्तावित भूमि के संबंध में आपत्ति प्राप्त हुई है। उक्त आपत्ति का आदेश दिनांक 05.05.2025 से विधिवत निराकरण किया गया है। आदेश प्रथक से प्रकरण में संलग्न है।

प्रस्तावित भूमि/परिसम्पत्ति की मूल्यांकन राशि पुर्नवास सहित निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम/तहसील	भू-धारक/ मकान धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	वनखण्ड क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल	गाईडलाईन 2024-25 के अनुसार मूल्य	पुनर्वास अनुदान	कुल राशि
1	कुमरौआ	प्राणसिंह पिता भल्ले आदिवासी	1076	0.224	0.224	98560	98560	197120
2	-	नेकराम पुत्र अन्नू आदिवासी	1076	0.237	0.237	104280	104280	208560
3	-	कपूरा पुत्र अन्नू आदिवासी	1076	0.359	0.359	157960	157960	315920
4	-	रामजीलाल पिता भिक्रू आदिवासी	1076	0.351	0.351	154440	154440	308880
		महायोग		1.171	1.171	515240	515240	1030480

प्रकरण में प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 के अंतर्गत अधिभोग के अधीन वन भूमि के हक के तहत परंपरागत वन निवासियों को प्रदान की गई थी। उक्त प्रस्तावित भूमि के बदले वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि प्रदाय की गई है। वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल शिवपुरी के पत्र क्रमांक 3188 दिनांक 23.07.2024 के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिल्ली के पत्र दिनांक 08.07.2024 से सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में विधिवत सैद्धांतिक सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। परंपरागत वन निवासियों द्वारा विधिवत वन भूमि के अपने हक को सनघटा परियोजना हेतु समर्पण कर शपथ-पत्र पेश किया गया है।

उपरोक्त आधार पर सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना के लिए ग्राम कुमरौआ तहसील पिछोर वनखण्ड क्रमांक 1076 रकबा 1.171 हे. भूमि परंपरागत वन निवासियों के हकों का सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना जल संसाधन विभाग शिवपुरी के हित में समर्पण स्वीकार किया जाता है। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी विधिवत कार्यवाही उपरांत भूमि का अधिपत्य प्राप्त करें एवं शासन नीति अनुरूप उक्त गणना के आधार पर भूमि का मूल्य पुर्नवाम अनुदान सहित भुगतान करें। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी वन अधिकारों के धारक को नियमानुसार भुगतान कर भुगतान की जानकारी सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति संबंधित विभाग की ओर भेजी जावे। बाद कार्यवाही प्रकरण दाखिल रिकार्ड।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी

प्र.क्र.05/24-25/अ-82/ ८५९

शिवपुरी दिनांक 15/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



संयुक्त कलेक्टर

एवं प्रभारी अधिकारी(भू-अर्जन शाखा)

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी

प्र.क्र.03/24-25/अ-82

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना
बनाम

हरवान पुत्र तिजुआ आदिवासी तोरन पुत्र तिजुआ आदिवासी
आदि निवासीगण ग्राम शिवराज तहसील पिछोर

(पारित आदेश दिनांक 05.05.2025)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी द्वारा सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना में बांध निर्माण हेतु ग्राम शिवराज तहसील पिछोर की भूमि वनखण्ड क्रमांक 292 रकबा 1.794 (जिसका की वन अधिकार अधिनियम 2008 के तहत अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक दिया गया था) म.प्र. शासन की आपसी सहमति क्रय नीति 2014 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में आपसी सहमति क्रय नीति के तहत स्वच्छ धारणाधिकार एवं अधिपत्य के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पिछोर से जांच करायी गयी। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर द्वारा परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में प्रभावित भूमि का वर्ष 2024-25 की गार्डललाईन की प्रभावशील दर के अनुसार भूमि तथा उस पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों के मूल्य के बराबर राशि प्रतिफल के रूप में संगणित की जाकर आपसी सहमति से की जा रही भूमि मूल्यांकन गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में वन खण्ड धारकों से प्रारूप (क) पर क्रय के प्रस्ताव के आधार पर प्रारूप (ख) पर सहमति ली गई है। प्रस्तावित भूमि के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया।

प्रकरण में प्रभावित भूमि के भू-धारकों की प्रारूप (ख) पर भूमि विक्रय की सहमति प्राप्त होने के उपरांत मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के जापन क्रमांक एफ12-2/2014/सात/2ए भोपाल दिनांक 12.11.2014 की कंडिका 11(2) के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 13.01.2025 जारी की जाकर सूचना का सार्वजनिक समाचार पत्र तरुण सत्ता दिनांक 20.01.2025, सत्ता सुधार दिनांक 18.01.2025 में जिले की वेबसाइट पर सूचना का प्रकाशन कराया गया। सूचना प्रकाशन के उपरांत प्रस्तावित भूमि के संबंध में आपत्ति प्राप्त हुई है। उक्त आपत्ति का आदेश दिनांक 05.05.2025 से विधिवत निराकरण किया गया है। आदेश प्रथक से प्रकरण में संलग्न है।

प्रस्तावित भूमि/परिसम्पत्ति की मूल्यांकन राशि पुर्नवास सहित निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम/तहसील	भू-धारक/ मकानधारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	वनखण्ड क्र.	कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल	गार्डललाईन 2024-25 के अनुसार मूल्य	पुनर्वास अनुदान	कुल राशि
1	शिवराज	हरवान पुत्र श्यामा आदिवासी	292	0.271	0.271	121625	121625	243250
2	-	तोरन पुत्र तिजुआ आदिवासी	292	0.458	0.458	205550	205550	411100
3	-	सौभाराम पुत्र रतना आदिवासी	292	0.456	0.456	204653	204653	409306
4	-	बुद्धा पुत्र दीना आदिवासी	292	0.609	0.609	273319	273319	546638
		महायोग		1.794	1.794	805147	805147	1610294

प्रकरण में प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मातृता) नियम 2008 के अंतर्गत अधिभोग के अधीन वन भूमि के हक के तहत परंपरागत वन निवासियों को प्रदान की गई थी। उक्त प्रस्तावित भूमि के बदले वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि प्रदाय की गई है। वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल शिवपुरी के पत्र क्रमांक 3188 दिनांक 23.07.2024 के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिल्ली के पत्र दिनांक 08.07.2024 से सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में विधिवत सैद्धांतिक सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। परंपरागत वन निवासियों द्वारा विधिवत वन भूमि के अपने हक को सनघटा परियोजना हेतु समर्पण कर शपथ-पत्र पेश किया गया है।

उपरोक्त आधार पर सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना के लिए ग्राम शिवराज तहसील पिछोर वनखण्ड क्रमांक 292 रकबा 1.794 हे. भूमि परंपरागत वन निवासियों के हकों का सनघटा (ऐर) मध्यम परियोजना जल संसाधन विभाग शिवपुरी के हित में समर्पण स्वीकार किया जाता है। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी विधिवत कार्यवाही उपरांत भूमि का अधिपत्य प्राप्त करें एवं शासन नीति अनुरूप उक्त गणना के आधार पर भूमि का मूल्य पुर्नवास अनुदान सहित भुगतान करें। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी वन अधिकारों के धारक को नियमानुसार भुगतान कर भुगतान की जानकारी सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति संबंधित विभाग की ओर भेजी जावे। याद कार्यवाही प्रकरण दाखिल रिकार्ड।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)

कलेक्टर

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

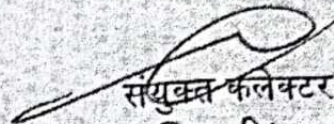
कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी

प्र.क्र.03/24-25/अ-82/९९७

शिवपुरी दिनांक 14/05/2025

प्रतिलिपि:-

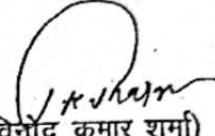
1. वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त कलेक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी(भू-अर्जन शाखा)
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xix)

The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;

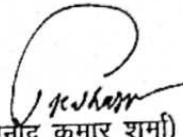
उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xx)

The User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir;

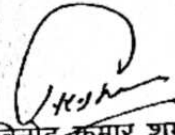
उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु बचनबद्ध है।


(विनीद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xxi)

No, labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xxii)

The boundary of the diverted forest land, be demarcated on ground at the project cost, be erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विक्रम कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xxiii)

The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;

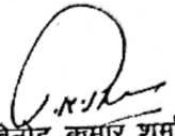
उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xxiv)

No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;

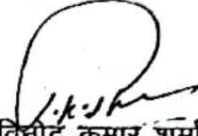
उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xxv)

The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xxvi)

No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xxvii)

The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xxviii)

The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting tress are to be cleared in this project, Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;

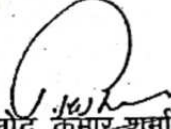
उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु बचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xxx)

The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above state conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xxxi)

The user agency shall comply all the provisions of the all acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (8) and NGT order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xxxii)

Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनोद कुमार शुक्ला)
कार्यपालन यंत्री
जल-संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

शर्त- A(xxxiii)

Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dated 29-01-2018;

उपयोगकर्ता एजेंसी/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी
उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


(विनीद कुमार-शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)